



भारतीय स्टेट बैंक

RBO Ranchi Rural Branch

सार्वजनिक नीलामी सूचना

भारतीय स्टेट बैंक ने हमारी शाखा के ऋण खाते में हाइपोथेकेशन समझौते के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित वाहनों को बैंक के बकाया की वसूली के लिए "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचने के अधिकार के साथ अपने कब्जे में ले लिया है।

क्र. सं.	शाखा	उधारकर्ता एवं खाता संख्या	बकाया राशि	कार का मॉडल	पंजीकृत सं.	आरक्षित मूल्य (रु. में)
01.	नेओरी	हरि प्रकाश शर्मा 43531171927	रु. 5,62,455.00 + ब्याज एवं शुल्क	MARUTI BALENO	JH-01-FV- 5969	रु. 4,05,000.00
02.	ओरमांडी	विल्सन माल्लो 43195400642	रु. 6,27,444.35 + ब्याज एवं शुल्क	NISSAN MAGNITE	JH-01-FR-9360	रु. 1.23.750.00
03.	ओरमांडी	श्री साजिद अंसारी 44453067972	रु. 14,05,914.00 + ब्याज एवं शुल्क	MAHINDRA SCORPION	JH-01-GE-8055	रु. 11,70,000.00
04.	नेओरी	अमित कुमार मिश्रा 43772395658	रु. 8,20,717.00 + ब्याज एवं शुल्क	TOYOTA GLANZA V PETROL (MT) BS VI	JH-01-FY-1489	रु. 6.97,000.00

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें:

- ई-नीलामी की तिथि : 31.10.2026 (शनिवार), समय: 3:00 मिनट सुबह 11:00 बजे से संध्या 04:00 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के विस्तार के साथ।
- ई-नीलामी, पोर्टल/वेबसाइट : <https://baanknet.com> के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
- बोलीदाताओं को अपने मोबाइल सं. एवं ईमेल-आईडी का उपयोग करके इस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा, उन्हें अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। एक बार जब केवाईसी दस्तावेज सत्यापित हो जाते हैं (2 कार्य दिवस लग सकते हैं), तो बोलीदाताओं को समय पर ईएमडी राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरित करनी होगी।
- सफल बोलीदाता को पहले से भुगतान की गई ईएमडी (आरक्षित मूल्य का 10%) को समायोजित करने के बाद, तुरंत यानी उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले, बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा। बिक्री मूल्य का शेष 75% बिक्री की पुष्टि के 15 वें दिन या उससे पहले देय होगा।
- किसी भी आवेदन को या पूरी नीलामी प्रक्रिया को निरस्त या अस्वीकृत करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा।
- संपत्ति संबंधी पूछताछ/सत्यापन के लिए मोबाइल सं. : 9262299071 / 7583032122, संपर्क का समय : सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे के मध्य
- बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ई-नीलामी से पूर्व, दिए गए मोबाइल नंबर पर संबंधित जब्ती एजेंसी से संपर्क कर संपत्ति का सत्यापन कर लें।
- सभी वाहन में GST लागू।
- बैंक द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के बाद वाहन पंजीकरण शुल्क / खर्च स्वयं सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

ह/- प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : राँची | दिनांक: 21.10.2026

भारतीय स्टेट बैंक, RBO Ranchi Rural शाखा